न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2019 (उदयपुर आर्डर)

मैसर्स पण्डित कन्सट्रशन कम्पनी प्रो. श्री गोपाल के पुरोहित, 29, ईलाजी का नीम, गणेश घाटी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता सिचाई खण्ड सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23–ए
पी.डी.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश
अति.जिला कलेक्टर, उदयपुर
दि॰ 08.08.2019 प्र॰सं॰ 1/16

––::––

उपस्थित :– 1– श्री भगवानलाल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

––::––

निर्णय **दिनांक 10–01–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा वसूली बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 76/2007 में दिनांक 29–09–2008 में निर्णय पारित करते हुए 1,41,222/– रूपये वसूली योग्य मानते हुए वसूली तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज तथा इस पर पी.डी.आर. कोस्ट वसूली की राशि भी वसूल करने के लिए तहसीलदार गिर्वा को वसूली पत्र जारी किया, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 146/2008 में दिनांक 28.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 08–08–2019 से प्रार्थी सिंचाई विभाग का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी ठेकेदार से रूपये 1,41,222/– वसूली योग्य मानते हुए वसूली तिथि तक 9 प्रतिशत ब्याज तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested

इस पर पी.डी.आर. कोस्ट वसूली की राशि भी वसूल करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी कम्पनी द्वारा यह अपील दिनांक 12–09–2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल पालीवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय प्रकिया के तहत निर्णय पारित नहीं कर मात्र प्रार्थी द्वारा बाकियात होने के कथन को सही मानकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि निर्णय पारित करने से पूर्व सम्पूर्ण मामले को ध्यान में रखकर संविदा की शर्तो का प्रभाव व उसकी सीमाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट के मध्य संविदा कन्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर कोर्स नंबर 14 ऑफ सोमकागदर परियोजना का निर्माण कार्य आवंटित राशि 1,01,655/– से 42 प्रतिशत अधिक के टेण्डर पर स्वीकृति हुई है। उक्त अनुबन्ध के अनुसार उक्त कार्य की समयावधि दिनांक 01–05–1989 से 30–06–1989 तक निर्धारित थी, किन्तु उक्त ठेकेदार द्वारा 17,237/– रूपये प्रतिमाह 10/89 में द्वितीय रनिंग बिल 30,174/– रूपये माह 3/90 एवं तृतीय बिल रूपया 3,702/– का 3/92 को भुगतान किया गया। इस हरत स्वीकृत राशि 1,01,655/– रूपये में से वर्ष 1992 तक अपीलान्ट द्वारा केवल 51,113/– रूपये का निर्माण कार्य किया गया है तथा 50,542/– रूपये का ही कार्य शेष रहता था, जिसका निर्माण कार्य कराया जाना अपेक्षित था, जिसके लिए रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 19–06–1994, 23–05–1989 एवं 18–10–1989 को अंतिम नोटिस दिया गया, किन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने से अनुबन्ध की धारा 2 के तहत आरोपित क्षतिपूर्ति पेनाल्टी 1,01,655/– रूपये 2 प्रतिशत से 2,033/– रूपये जमा कराने के लिए अपीलान्ट को पत्र दिनांक 10–09–1991, 23–09–1991, 29–05–1991 को नोटिस देकर शेष कार्य अनुबन्ध की धारा 3–सी के अनुसार विपक्षी फर्म के हर्जे–खर्चे पर सम्पन्न कराने पर 96,32[illegible]ये का व्यय हुआ, जिसकी अंतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested

राशि 45,781/– रूपये अधिक व्यय होने से वसूली योग्य माना है। रेस्पोन्डेन्ट को यह भली भांति ज्ञात था कि उक्त रकम अपीलान्ट से वसूली योग्य नहीं है इसी कारण उनके द्वारा कभी भी वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी। वसूली की कार्यवाही करने का कारण केवल मात्र महा–लेखाकार, जयपुर द्वारा अपनी ऑडिट में बाकियात होना निकाला, जिस बाकियात का दायित्व रेस्पोन्डेन्ट स्वयं का है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने अपने दायित्व से बचने के लिए 15 वर्ष पश्चात अपीलान्ट से वसूली करने की कार्यवाही प्रारम्भ करवायी है, जिसका न तो कोई औचित्य है एवं न ही कोई आधार। केवल मात्र शेष बचे कार्य को संविदा की शर्तो अनुसार ही कराया जाना अपेक्षित है तथा शेष बचे कार्य को करने में जो व्यय हुआ उसकी अन्तर राशि ही वसूली योग्य होती है, परन्तु इस मामले में शेष बचे कार्य हेतु अनुबन्ध की धारा 3–सी की कार्यवाही के बाद शेष बचे कार्य सी. सी. लाईनिंग 347 घनमीटर एवं आर.आर. मेशेनरी 2.25 घनमीटर कार्य सम्पादित करने का कार्यादेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करते समय संविदा संख्या 6 वर्ष 1990–91 के क्लॉज 12 अनुसार प्रार्थी को कार्य निष्पादन के मय मौके के अनुसार कार्य की ड्राईंग एवं डिजाईंन संशोधन करने का पूरा अधिकार है, तद्नुसार ही नये ठेकेदार से कार्य कराया गया है। आलोच्य आदेश पारित करते समय केवल मात्र संविदा की क्लाज 12 को आधार मानकर जिसमें भी केवल मात्र निर्माण कार्य की ड्राईंग, डिजाईन में परिवर्तन अथवा जोड़ने के संबंध में अधिकृत किया है, न कि निर्माण कार्य की मूल प्रकृति बदलने का अधिकार उक्त संविदा की क्लाज 12 में है। शेष बचा कार्य सी.सी. लाईनिंग के बजाय आर.आर. मेशेनरी 313 घनमीटर करा दी गयी है। उक्त संदिवा की क्लाज 12 ए में भी केवल मात्र 50 प्रतिशत सीमा तक किसी भी एक इन्ड्यूजुवल आईटम कार्य में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। कुल मिलाकर संविदा के अनुसार 20 प्रतिशत अधिक राशि का कार्य कराया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि फर्म द्वारा संविदा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरूद्ध वसूली का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट पंडित कन्स्ट्रशन फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर रेस्पोन्डेन्ट विभाग द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया तथा अन्य ठेकेदार से कार्य पूर्ण करवाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट फर्म द्वारा संविदा की शर्त संख्या 12 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, क्योंकि शर्त संख्या 12 अनुसार विभाग को कार्य की मूल प्रकृति/डिजाईन एवं ड्राईंन आवश्यकतानुसार बदलने का पूर्ण अधिकार था एवं ठेकेदार फर्म उक्त संविदा की शर्त अनुसार विभाग के निर्देशानुसार कार्य करने पर बाध्य होगा। अपीलान्ट की यह आपत्ति की केवल मात्र महालेखाकार जयपुर द्वारा ऑडिट में बाकियात होना निकाला गया है, जिसकी जिम्मेदारी फर्म की नहीं होकर रेस्पोन्डेन्ट विभाग की है, किन्तु उक्त जिम्मेदारी से बचने के लिए रेस्पोन्डेन्ट विभाग द्वारा 15 वर्ष बाद वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, उचित नहीं है। प्रकरण में हम यह पाते हैं उक्त बाकियात की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होकर अपीलान्ट फर्म की है, क्योंकि उनके द्वारा संविदा की शर्त अनुसार फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ही महालेखाकार द्वारा उक्त वाकियात निकाली गयी है, जिसकी वसूली फर्म से ही की जाना अपेक्षित है, क्योंकि फर्म द्वारा संविदा की शर्तो अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ही रेस्पोन्डेन्ट विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही की गयी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुए अपीलान्ट फर्म से उक्त वसूली बाबत् आदेश पारित किया है, जो प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 08–08–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.06 11:36:03 IST
Reason: SelfAttested